



राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

पश्चिम ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
फोन नं. 0141-2740553, 2740440 फैक्स:- 0141-2740930, 2740440
Email : rsldbnpnd@gmail.com Website : www.rsldb.nic.in

क्रमांक:फा.आ.वि.25(iii)/एमु.स.यो 2021/2021-22/25070-25164

दिनांक : 08.03.2022

सचिव

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
समस्त।

URGENT

विषय :- एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22

प्रसंग:-अतिरिक्त रजिस्ट्रार मोने. का पत्र क्रमांक फा.50(3)सविरा/मोने/एसए/एकमुश्त
समझौता योजना/ 2021-22/2022/198 दिनांक 08.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत, प्रासंगिक पत्र से "प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22" सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की गई है।

इस क्रम में योजना की प्रति संलग्न कर आपको भिजवाते हुए निर्देशित किया जाता है कि :-

1. योजना का अपने स्तर से भली भांति अध्ययन कर, स्वैच्छिक आधार पर संचालक मण्डल/प्रशासक स्तर से शीघ्रताशीघ्र प्रस्ताव पारित कर, योजना अंगीकार की जावें तथा पात्र कृषकों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. योजनान्तर्गत पात्र सभी ऋणी सदस्यों को संलग्न नोटिस प्रारूप के अनुसार उनके खाते की विस्तृत स्थिति तथा योजनान्तर्गत उन्हें देय लाभ की जानकारी दी जावें एवं इसी प्रारूप में नीचे अंकित किये अनुसार ऋणी सदस्य की सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऋणी सदस्य को प्रारूपित नोटिस बाकायदा तामील स्वरूप उसके हस्ताक्षर मय स्वयं के अथवा निकटतम व्यक्ति के मोबाईल नम्बर हस्ताक्षर के नीचे अंकित हो।
3. योजना अंगीकार करने के प्रस्ताव की प्रति राज्य भूमि विकास बैंक को यथाशीघ्र भिजवावें एवं पाक्षिक आधार पर योजना की प्रगति से राज्य बैंक को अवगत करावें। प्रगति से सम्बन्धित प्रपत्र अलग से जारी किया जा रहा है।
4. प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर के अवधिपार एवं एनपीए खातों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना का अनुमोदन किया गया है। सचिव प्राथमिक बैंक की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि एकमुश्त समझौता योजना 2021-22 को गम्भीरता से लेते हुए लागू की जाकर बैंक की अवधिपार वसूली एवं एनपीए में सुधार लाया जावे।
5. योजना की अवधि 31 मार्च 2022 तक ही है अतः सीमित अवधि को ध्यान में रखते हुये सचिव प्राथमिक बैंक द्वारा प्रभावी प्रयास किये जाकर योजना का सफल क्रियान्वयन किया जावें।
6. योजना में अवधिपार वसूली में सुधार किये जाने पर बैंक कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान शामिल है। इस सम्बन्ध में राज्य बैंक द्वारा शीघ्र ही प्रथम से दिशा निर्देश जारी किये जावेंगे।

संलग्न :- योजना की प्रति

भवदीय,

—sd—

(विजय कुमार शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

क.फा.50(3)सविरा/मोने/एस.ए/एकमुश्त समझौता योजना/2021-22/2022

दि 08-3-2022

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
जयपुर।



विषय:- प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋण प्रकरणों के निस्तारण हेतु एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22 के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक फा. 25(iii) आ.वि./ए.मु.स.यो./2021-22 21640 दिनांक 19.01.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋण प्रकरणों के निस्तारण हेतु एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22 का अनुमोदन माननीय मंत्री महोदय सहकारिता द्वारा कर दिया गया है। एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22 अनुमोदन उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है। योजनान्तर्गत प्रगति से पाक्षिक रूप से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मुक्तानंद अग्रवाल)

रजिस्ट्रार



राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, जयपुर

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋण प्रकरणों के निस्तारण हेतु
एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22

1. पात्रता :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के स्तर पर सभी प्रकार के कृषि/अकृषि ऋण मामले, जो दिनांक 01.07.2021 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, योजनान्तर्गत निस्तारण हेतु पात्र होंगे।

2. क्रियान्वयन अवधि :

राज्य सरकार से योजना की स्वीकृति जारी होने के उपरान्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर प्रशासकीय/संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर योजना को अंगीकार करने की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक योजना की क्रियान्वयन अवधि होगी।

3. राहत राशि का निर्धारण :

- योजनान्तर्गत पात्र खातों में दिनांक 01 जुलाई, 2021 को जो राशि अवधिपार है, उसमें से योजना अंगीकार करने की तिथि को बकाया, पर राहत की गणना की जावेगी।
- पात्र खातों में बिंदु सं. 3.A के अनुसार जो राशि अवधिपार रही है, उसमें से अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय व अन्य व्यय पर 50 प्रतिशत की राहत प्रदान की जावेगी।
- दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय व अन्य व्यय के शेष 50 प्रतिशत की राहत प्रदान करने हेतु प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक का संचालक मण्डल अधिकृत होगा, जो बैंक के सभी पात्र ऋणियों के लिए एकसमान लागू होगी।
- योजनान्तर्गत पात्र खातों में दिनांक 01 जुलाई, 2021 के पश्चात ऋणी की ओर जो भी चालू किश्तें ड्यू हुई हैं, उस पर कोई राहत प्रदान नहीं की जावेगी तथा इन किश्तों का पूर्ण चुकारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 15 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि के अवधिपार खातों में बकाया मूलधन के बराबर ब्याज वसूल किया जावेगा अर्थात् समझौता दिनांक को खाते में बकाया ब्याज की राशि, बकाया मूलधन से अधिक होने पर मूलधन के बराबर ही ब्याज वसूल किया जावेगा। शेष ब्याज, दण्डनीय ब्याज व वसूली की राहत प्रदान की जावेगी। अवधिपार मूल से कम ब्याज बकाया होने की स्थिति में ऋणी को बिन्दु 3.B व 3.C के अनुसार राहत देय होगी।
- रु. 25,000/- तक के ऐसे अवधिपार खाते जो दिनांक 01.07.2021 को 15 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए अवधिपार हो चुके हैं, उनमें यदि ऋण वितरण दिनांक से 01.07.2021 तक, वितरित मूलधन के बराबर या अधिक ब्याज वसूल कर लिया गया है तो ऐसे खातों को केवल वर्तमान में बकाया मूलधन राशि ही वसूल करके निस्तारित किया जावेगा।

4. समझौता राशि का निर्धारण :

- समझौता राशि के अन्तर्गत पात्र अवधिपार खातों में बिंदु सं. 3.A के अनुसार जो राशि अवधिपार रही है, में से बकाया सम्पूर्ण अवधिपार मूल, सम्पूर्ण बीमा प्रीमियम, निर्धारित राहत (बिन्दु संख्या 3 के अनुसार) के पश्चात् प्राप्य अवधिपार ब्याज राशि एवं बिंदु सं. 3.D के अनुसार ड्यू चालू किश्तें मय ब्याज/द. ब्याज सम्मिलित होगी।
- ऋणी सदस्यों को राहत प्राप्त करने हेतु उक्त समझौता राशि जमा करवाई जानी अनिवार्य होगी।

5. योजनावधि में विधिक/अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ रखना :

- अवधिपार ऋणी द्वारा सर्वप्रथम समझौता राशि की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता दिनांक को एवं शेष राशि योजना क्रियान्वयन अवधि समाप्ति से पूर्व जमा करवाये जाने सम्बन्धी सहमति पत्र जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।



- B. जिन ऋणियों द्वारा बिंदु सं. 5.A के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत समझौता राशि जमा करवाकर समझौता निष्पादित नहीं किया जावेगा, उनके विरुद्ध प्राथमिक बैंक द्वारा अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रभावी रूप से जारी रखते हुए वसूली की जावेगी।
- C. ऋणी द्वारा समझौता राशि का 25 प्रतिशत जमा करवा दिये जाने पर प्राथमिक बैंक द्वारा उस ऋणी के विरुद्ध समझौता अवधि तक अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही स्थगित की जावेगी।
- D. ऋणी द्वारा निर्धारित अवधि में (सहमति पत्र के अनुसार) सम्पूर्ण समझौता राशि जमा करवाई जानी आवश्यक होगी अन्यथा अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कर दी जावेगी।
6. मृतक अवधिपार ऋणी/ऋणियों के मामलों में प्रावधान :
- A. मृत्यु के मामले में ऋणी के अवधिपार खाते में बकाया मूलधन के अतिरिक्त समस्त राशि यथा अवधिपार ब्याज, चालू ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली व्यय की राहत प्रदान की जावेगी परन्तु वारिसान द्वारा खाते/खातों में बकाया समस्त मूलधन (अवधिपार + अन अवधिपार) एकमुश्त जमा करवाकर खाता बंद करवाना अनिवार्य होगा।
- B. संयुक्त ऋणियों के मामलों में किसी एक या अधिक ऋणियों की मृत्यु होने की स्थिति में कुल ऋण राशि में से मृतक ऋणी/ऋणियों के हिस्से के अनुसार राहत दी जावेगी। अन्य ऋणी/ऋणियों को बिन्दु संख्या 3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राहत प्रदान की जावेगी। ऐसे मामलों में राहत प्राप्त करने हेतु मृतक के वारिसानों एवं अन्य ऋणियों द्वारा योजनानुसार देय समस्त समझौता राशि एकमुश्त जमा करवाई जानी अनिवार्य होगी।
- C. ऋणी की पात्रता के निर्धारण से जुड़े विभिन्न प्रावधान योजना अनुसार ही होंगे।
- D. मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है।
- E. योजनान्तर्गत समझौता दिनांक को अवधिपार खाते की वास्तविक स्थिति के आधार पर राहत की गणना की जावेगी अर्थात् यदि मृत्यु के बाद एवं योजना अंगीकार करने की दिनांक के मध्य ऋणी के वारिसान द्वारा पूर्ण/आंशिक राशि जमा करा दी गई है तो उसका लाभ नहीं दिया जावेगा बल्कि समझौता दिनांक को अवधिपार खाते की वास्तविक स्थिति ही अंतिम मानी जावेगी।
7. बैंक के पक्ष में क्रय की गई भूमि के मामलों में राहत :
- बैंक के पक्ष में क्रय की गई भूमि, जिसे बैंक द्वारा अब तक विक्रय नहीं किया गया है, के मामलों में योजनान्तर्गत निम्नानुसार राहत प्रदान दी जा सकेगी :-
- A. बैंक के पक्ष में क्रय की गई भूमि की क्रय दिनांक से समझौता दिनांक तक ऋणी से बकाया सम्पूर्ण राशि पर वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर से साधारण ब्याज की गणना की जावेगी।
- B. भूमि क्रय की दिनांक को ऋणी की तरफ अवधिपार ब्याज तथा उक्त बिन्दु 7.A पर आंकलित ब्याज के योग के 50 प्रतिशत के बराबर ऋणी को ब्याज में राहत प्रदान की जावेगी।
- C. भूमि क्रय की दिनांक को ऋणी से प्राप्य दण्डनीय ब्याज/वसूली खर्च की राहत बिन्दु संख्या 3.B व 3.C के अनुसार ऋणी को दी जावेगी।
- D. ऐसे मामलों में ऋणी/ऋणियों को समस्त समझौता राशि एकमुश्त जमा करवाई जानी अनिवार्य होगी।
- E. यदि किसी ऋणी की योजना कियान्यून अवधि तक मृत्यु हो गई है तो ऐसे मामलों में मृतक ऋणी के प्रावधान (बिन्दु सं.6) के तहत लाभान्वित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकेगा।
8. आंकलित राहत प्रदान करने से पूर्व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अवधिपार ऋणी सदस्य से संलग्न प्रपत्र में सहमति पत्र भरवाया जाना अनिवार्य होगा एवं बैंक द्वारा समझौता निष्पादित करने हेतु दिये जाने वाले नोटिस की ऋणी से प्राप्ति रसीद ली जावेगी।



9. योजनान्तर्गत वित्तीय भार का वहन :
- योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक बैंकों की अवधिपार वसूली में सुधार लाते हुये गैर निष्पादन आस्तियों (NPA) में कमी लाना है ताकि बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।
 - योजनान्तर्गत प्रदत्त राहत राशि 70 : 30 के अनुपात के कमशः सम्बन्धित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वहन की जावेगी।
 - राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा 30 प्रतिशत राशि का वहन उसी स्थिति में किया जावेगा जब सम्बन्धित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा गत वर्ष की अवधिपार वसूली में वृद्धि अर्जित की हो।

10. आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं निर्णय हेतु अधिकृत समिति :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं निर्णय हेतु निम्न समिति अधिकृत होगी :-

- | | |
|---|------------|
| 1. अध्यक्ष/प्रशासक (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक) | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रमारी, क्षेत्रीय, राज्य भूमि विकास बैंक | सदस्य |
| 3. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सम्बन्धित यूनिट | सदस्य |
| 4. प्राथमिक बैंक का लेखापाल/समकक्ष | सदस्य |
| 5. सचिव (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक) | सदस्य सचिव |

उपरोक्त समिति की बैठक में सदस्य संख्या 1, 2, 4 एवं 5 की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

11. एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत दिनांक 01.01.2022 से योजना क्रियान्वयन अवधि तक गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में अवधिपार वसूली में वृद्धि होने पर नकद वसूल की गई (राहत राशि के अतिरिक्त) अवधिपार राशि की 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि, सचिव द्वारा प्राथमिक बैंक के सभी स्थाई कार्मिक/सेवानिवृत्त अनुबन्ध पर/एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिक में एकसमान वितरित की जावेगी। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/प्रशासक प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

12. विशेष :

- योजना के किसी बिंदु पर किसी प्रकार की व्याख्या/विवेचना की आवश्यकता पर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- इस योजना की क्रियान्विति स्वैच्छिक आधार पर सम्बन्धित संस्था के संचालक मण्डल/प्रशासक से प्रस्ताव पारित कराकर करेंगे। यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में अंगीकार करने की दिनांक से लागू मानी जावेगी। योजना की प्रगति रिपोर्ट मासिक रूप से प्राथमिक बैंक के संचालक मण्डल/प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत करते हुए राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को भिजवाई जावेगी।



ऋणी का सहमति पत्र

मैं पुत्र/पति श्री
निवासी तहसील जिला शपथ
पूर्वक बयान करता हूँ कि—

- मैंने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणों के पूर्ण चुकारे हेतु एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22 को पढ़ एवं भली-भाँति समझ लिया है।
- आज दिनांक 01.07.2021 को मेरी तरफ कुल राशि रु. अवधिपार थी, जिसमें से राशि रु. अब भी अवधिपार है। इस बकाया अवधिपार में राशि रु. मूल, रु. ब्याज एवं रु. दण्डनीय ब्याज है।
- वर्तमान में उक्त अवधिपार राशि में से प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. द्वारा योजनानुसार मुझे राशि रु. की राहत अवधिपार ब्याज में एवं रु. की राहत दण्डनीय ब्याज वसूली व्यय में प्रदान की जा रही है। राहत हेतु बैंक द्वारा की गई इस गणना से पूर्णतया सहमत एवं संतुष्ट हूँ।
- दिनांक 01.07.2021 के बाद ड्यू हुई किश्तों पेटे मेरी तरफ राशि रु. का मूल, रु. का ब्याज एवं रु. का दण्डनीय ब्याज भी बकाया है।
- मेरी तरफ वर्तमान में बकाया उक्त राशि में से राहत की राशि कम करने के पश्चात शेष राशि रु. रहती है। मैं इस समझौता राशि में से प्रतिशत (न्यूनतम 25 प्रतिशत होनी चाहिये) राशि रु. जमा करवा रहा हूँ। शेष समझौता राशि मेरे द्वारा 2 माह के भीतर प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. जमा करवा दी जावेगी।
- इस 2 माह की अवधि में मेरे द्वारा शेष समझौता राशि जमा नहीं करवाये जाने पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. द्वारा वसूली हेतु मेरे विरुद्ध नियमानुसार अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।
- भविष्य में मैं उक्त राहत के सन्दर्भ में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. पर किसी भी प्रकार का विधिक आक्षेप नहीं लगाऊँगा।

हस्ताक्षर

सहमति कर्ता ऋणी का नाम:

पता :

मोबाईल नं. :

(अनिवार्य रूप से ऋणी से लिया जावे)

कमेटी का निर्णय

कमेटी द्वारा उपरोक्त ऋणी सदस्य के द्वारा दी गई सहमति पर विचार किया गया। कमेटी द्वारा ऋणी को राशि के छूट प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

कमेटी की बैठक का प्रस्ताव एवं दिनांक: सचिव, प्राथमिक बैंक



प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि.

(ऋणी सदस्यों को प्राथमिक बैंक द्वारा दिया जाने वाला नोटिस)

क्रमांक:

श्री

दिनांक:

विषय:- एकमुश्त समझौता योजना 2021-22 के तहत खाते का निस्तारण बाबत नोटिस।

1. दिनांक 01.07.2021 को आपके खाते संख्या में निम्नानुसार राशि अवधिपार थी।

मूल राशि	ब्याज राशि	दण्डनीय ब्याज/ वसूली व्यय/ अन्य राशि	कुल राशि

2. इस अवधिपार राशि में से आप द्वारा दिनांक 01.07.2021 से वसूली जमा करवाई गई है तथा उक्त में से निम्नानुसार राशि वर्तमान में भी अवधिपार है।

मूल राशि	ब्याज राशि	दण्डनीय ब्याज/ वसूली व्यय/ अन्य राशि	कुल राशि

3. दिनांक 01.07.2021 के पश्चात उक्त ऋण खातों में ड्यू हुई किश्तें जो वर्तमान में बकाया है निम्नानुसार है।

मूल राशि	ब्याज राशि	दण्डनीय ब्याज/ वसूली व्यय/ अन्य राशि	कुल राशि

4. प्राथमिक बैंक द्वारा अवधिपार कृषकों के लिये एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22 लाई गई है जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 2 पर अंकित अवधिपार राशि में से निम्नानुसार राशि एवं बिन्दु संख्या 3 पर अंकित समस्त राशि दिनांक तक जमा कराने पर निम्नानुसार छूट प्रदान की जावेगी।

छूट की राशि

ब्याज राशि	दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय राशि	कुल राशि

जमा कराई जाने वाली राशि

	मूल राशि	ब्याज राशि	दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय राशि	कुल राशि
योजना के बिन्दु सं. 2 के अनुसार				
योजना के बिन्दु सं. 3 के अनुसार				
कुल				

कृपया सूचित हो कि निर्धारित दिनांक तक राशि जमा करवाये जाने पर ही आपको उपरोक्तानुसार राहत प्रदान की जावेगी अन्यथा बैंक द्वारा समस्त अवधिपार राशि की वसूली के लिए अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

सचिव/शाखा सचिव बैंक

मैंने उक्त नोटिस प्राप्त कर लिया है तथा एकमुश्त समझौता योजना 2021-22 एवं नोटिस को भली भांति पढ़ एवं समझ लिया है तथा नोटिस में वर्णित सभी तथ्यों से मैं पूर्णतया संतुष्ट एवं सहमत हूँ।

हस्ताक्षर ऋणी सदस्य

ऋणी का नाम:

पता :

मोबाईल नं. :

